



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

Phone No. 0771-2262587 Website : prsu.ac.in, E-mail – adm.prsu@yahoo.in

क्रमांक /1196/सा.प्रशा./आदेश/एफ-1/2020

रायपुर, दिनांक 16/06/2020

// आदेश //


प्रायः देखा जा रहा है कि विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी कार्यालयीन समय प्रातः 10.30 बजे के पश्चात् विलंब से कार्यालय आते हैं तथा सायं 5.30 बजे के पूर्व चले जाते हैं, यह सेवा आचरण संहिता के विरुद्ध है।

अतः समस्त शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को आदेशित किया जाता है कि कार्यालयीन समय प्रातः 10.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक अपने विभागों में भोजनावकाश को छोड़कर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10.30 बजे उपस्थित होकर उपस्थिति पंजी हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।

कार्यालयीन समय में विभागीय कार्य से यदि बाहर जाना आवश्यक हो तो विभाग प्रमुख अथवा नियंत्रण अधिकारी की अनुमति आवश्यक है। बिना अनुमति या सूचना दिए बगैर अनुपस्थिति पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

प्रातःकालीन/सायंकालीन संचालित विभाग/अध्ययनशाला अपने निर्धारित कार्यालयीन समय में उपस्थिति सुनिश्चित करें।

आदेशानुसार



16.6.20

✓ कुलसचिव

पृ. क्रं./1197/सा.प्रशा./आदेश/एफ-1/2020
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक 16/06/2020

1. समस्त अध्यक्ष, अध्ययनशालाएँ एवं समस्त विभाग प्रमुख को सूचनार्थ एवं उपर्युक्त आदेशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।
2. विश्वविद्यालय सुरक्षा विभाग को आवश्यक कार्यवाही बाबत।
3. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।


उपकुलसचिव (प्रशा.)
✓

- नोवेल कोरोना वायरस(COVID-19) से बचने के लिए केंद्र और राज्य शासन द्वारा दिये जा रहे दिशा-निर्देशों का पालन करें।
- नोवेल कोरोना वायरस(COVID-19) से खुद बचे तथा औरों को बचाएँ।